

न्यायालय : राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ, अंजड़ जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी प्रकरण क्रमांक 16-ए/2017
संस्थित दिनांक- 09.10.2017

1. रामू पिता,स्व० गोकुल,भीलाला,
उम्र- 43 वर्ष, धंधा कृशि, निवासी ग्राम कोडिया,
तहसील अंजड़,जिला- बड़वानी (म.प्र.)
2. सीताराम पिता,स्व० गोकुल,भीलाला,
उम्र- 36 वर्ष, धंधा कृशि एवं वकालात,
निवासी ग्राम कोडिया,तहसील अंजड़,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)

-वादीगण

वि रू द्ध

1. श्रीमती मांगीबाई पिता स्व० गोकुल, पति राजु भीलाला,
उम्र- 48 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया, तहसील अंजड़,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)
2. श्रीमती पुनीबाई पिता स्व० गोकुल, पति भारत भीलाला,
उम्र- 45 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया,हा०मु० मुडियापुरा,
तहसील अंजड़,जिला- बड़वानी (म.प्र.)
3. श्रीमती सलुबाई पिता स्व० गोकुल,पति नयनसिंग भीलाला,
उम्र- 42 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया,तहसील अंजड़,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)
4. श्रीमती सीताबाई पिता स्व० गोकुल,पति ताराचंद भीलाला,
उम्र- 38 वर्ष,निवासी ग्राम कोडिया,हा०मु०ग्राम बालकुआं
तहसील व जिला- बड़वानी (म.प्र.)
5. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
बड़वानी,जिला- बड़वानी (म.प्र.)

-प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता	- श्री विशाल कर्मा
प्रतिवादीगण	- श्री आर०के०श्रीवास

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 09/12/2017 को घोषित)

01- वादीगण ने यह वाद प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 के विरुद्ध ग्राम कोडिया पटवारी हल्का नं० 9 तहसील अंजड़ में स्थित कृशि भूमि खसरा नं० 74/34,77/1,78/2,79/5 तथा 79/6 कुल रकबा 2.537 हेक्ट० तथा सर्वे नं० 74/41,79/3 कुल रकबा 0.915 हेक्ट०

(जिसके आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) पर अपने स्वत्व की घोशणा तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 का नाम कम करवाने के लिये प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि,वादीगण प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 के सगे भाई है तथा वादग्रस्त भूमि उनके पिता स्व० गोकुल के सम्पत्ति थी जिनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 के नाम पर दर्ज हुयी है।

03. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि,वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमियां वादीगण के हिस्से में आयी है,तथा तहसीलदार अंजड के आदेश से वादीगण एवं प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है,लेकिन प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 का नाम राजस्व अभिलेखों में स्वत्वहीन रूप से दर्ज है। उक्त प्रतिवादीगण को उनके विवाह के समय ही कन्यादान में घरेलु सामान और स्थित धन के रूप में आभूषण दे दिये थे,तथा वादग्रस्त भूमि पर उनका स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। इस कारण वादीगण ने यह वाद राजस्व अभिलेखों से प्रतिवादीगण का नाम कम कराने के लिये प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्रं० 5 के विरुद्ध वादीगण ने कोई सहायता नहीं चाही है।

4. प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 ने उपस्थित होकर वादीगण से राजीनामा पेश किया है,तथा वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का नाम दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं की है।

5. राजीनामों के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया है जिन्होंने राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक है। पक्षकारगण राजीनामा करने में सक्षम है उनके मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है:-

अ. यह घोशित किया जाता है कि, ग्राम कोडिया पटवारी हलका नं० 9 तहसील अंजड में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 74/34,77/1,78/2,79/5 तथा 79/6 कुल रकबा 2.537 हेक्ट० तथा सर्वे नं० 74/41,79/3 कुल रकबा 0.915 हेक्ट० की भूमियां वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की हैं।

ब. वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी क्रं० 1 से 4 का नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

स. राजीनामा आवेदन डिक्री का भाग होगा।

6. उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार जोड़ा जाये।

उक्त अनुसार डिक्री बनायी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही/-
(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ
अंजड़, जिला बड़वानी म०प्र०

सही/-
(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ
अंजड़, जिला बड़वानी म०प्र०